

- 1- रामनारायण पिता मोहनदास बैरागी निवासी तुकराई तह0 बेगू
- 2- शांतिलाल पिता मोहनदास बैरागी निवासी तुकराई तह0 बेगू
- 2/1- अर्जुन पिता शांतिलाल बैरागी निवासी तुकराई तह0 बेगू
- 2/2- बनवारी पिता शांतिलाल बैरागी निवासी तुकराई तह0 बेगू
- 2/3- दुर्गा पिता शांतिलाल बैरागी निवासी तुकराई तह0 बेगू
- 2/4- विद्या पिता शांतिलाल बैरागी निवासी तुकराई तह0 बेगू
- 2/5- चंदा पत्नी शांतिलाल बैरागी निवासी तुकराई तह0 बेगू हा.मु. पत्नी प्रभुदास
- 3- कौशल्या पुत्री मोहनदास बैरागी निवासी तुकराई तह0 बेगू
- 4- रामसुखी पत्नी मोहनदास बैरागी निवासी तुकराई तह0 बेगू
- 5- रूपलाल पिता नारायण जी धाकड निवासी तुकराई तह0 बेगू
- 6- राजस्थान राजय जरिये जिला कलक्टर महोदय चितौडगढ़
- 7- श्री तहसीलदार साहब भूमिधारी जी तहसील कार्यालय, बेगू
- 8- श्री पदमकुमार पिता इन्द्रमल कासलीवाल निवासी बेगू प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक :- 25.10.2023

उपस्थित :- श्री कैलाश चन्द्र मंत्री
अधिवक्ता वादी

निर्णय वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वादी की ओर से वादपत्र अधिवक्ता श्री मंत्री द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन इस प्रकार से किया गया कि कि मौजा तुकराई पटवार हल्का तुकराई की वर्तमान आराजी संख्या 1066 रकबा 0.6320 हैक्टर भूमि का पूर्वी दिशा का निस्फ रकबा 0.3160 हैक्टर भूमि वादी के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में अर्सा 30 वर्षों से चली आ रही है। यह कि वर्ष 1979 में मौजा तुकराई की आराजी संख्या 1066 एवं आराजी संख्या 917 गुणेशदास मोहनदास पिता द्वारकादास जी बैरागी सा.देह के नाम दर्ज रेकार्ड थी। वादी ने आराजी संख्या 1066 का निस्फ हिस्सा पूर्वी दिशा का श्री मोहनदास के हिस्से में होने से मोहनदास से कीमत प्रतिफल अदा कर खरीद किया एवं मोहनदास ने वादी के पक्ष में दिनांक 07.03.1979 को विक्रय विलेख निष्पादित करवा पंजीयन करवाया। लिपिकीय भूल एवं अनपढ होने से नम्बरो की अज्ञानता के कारण उक्त विक्रय विलेख में आराजी संख्या 1066 के बजाय आराजी संख्या 917 का उल्लेख कर दिया गया। इसी विक्रय पत्र में पडोस जो अंकित किये गये है वह आराजी संख 1066 के पूर्वी दिशा के ही सही सही जो भूमि विक्रय की है उसके अंकित किये गये है। दिनांक 07.3.1979 से ही आराजी संख्या 1066 के पूर्वी हिस्सा रकबा 0.3160 हैक्टर भूमि पर वादी निर्बाध रूप से बहसियत क्रेता मालिक स्वामी के रूप में काबिज हो काश्त करता आ रहा है।

यह कि आराजी संख्या 917 को मूल खातेदार प्रतिवादीगण के परिवार जनो ने श्री पदमकुमार पिता इन्द्रमल जी कासलीवाल निवासी बेगू को विक्रय कर दी जो उनके नाम जरिये नामान्तरण एवं न्यायालय आदेश से दर्ज हो चुकी है। यह कि विक्रय पत्र में हुई लिपिकीय भूल को सुधारने हेतु मोहनदास जी से कई बार कहा तो हमेशा हां हां करते रहे किन्तु उनकी मृत्यु पश्चात उनके वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 से 4 तक को कहा तो वे भी टालमटूल करते रहे। दिनांक 17.05.2010 को जब अंतिम बार प्रतिवादी सं. 1 से 4 को विक्रय पत्र की लिपिकीय भूल को सुधरा कर जमीन वादी के नाम कराने की कार्यवाही के लिए कहा तो उन्होंने मना कर दिया, जिससे वादी को यह वाद प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई।

यह कि मौजा तुकराई की आराजी संख्या 1066 का निस्फ हिस्सा पूर्वी दिशा का वादी के अर्सा 30 वर्ष से शांतिपूर्वक निर्बाध कब्जे काश्त में होने से विरुद्ध प्रतिवादीगण वादी प्रतिकूल कब्जे के आधार पर एवं जमीन विधिवत खरीद करने से अपने मालिकाना हक की होने की घोषणा प्राप्त कर अपने नाम खातेदारी हक से दर्ज कराने का अधिकारी है एवं इसी हेतु वादी का यह वादपत्र न्यायालय श्रीमान में सरकार एवं भूमि जी घोषणा के वाद में आवश्यक पक्षकार बनाये गये है। प्रतिवादी संख्या 6 व राज्य कासलीवाल न्यायालय आदेश से पक्षकार बनाये गये है। प्रतिवादी संख्या 8 पदम कुमार वद कारण दिनांक 07.05.2010 को प्रतिवादी सं0 1 से 4 द्वारा वादी की भूमि वादी के नाम दर्ज कराने की कार्यवाही से इंकार किये जाने से उत्पन्न होकर हर रोज वर्तमान हैं। राजस्व आराजीयात की घोषणा हेतु वाद अवधि बाधित नहीं होने से अन्दर अवधि प्रस्तुत है। वर्णित आराजी न्यायालय श्रीमान के क्षेत्राधिकार में स्थित होने से वाद श्रवणाधिकार न्यायालय श्रीमान को प्राप्त है।

अतः वादी न्यायालय श्रीमान से निम्न अनुतोष की प्रार्थना करता है।



कि अन्य कोई अनुतोष प्राप्त किया जा चुका है। वादी का वादपत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दज राजस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, पत्रावली में प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की ओर से अधिवक्ता श्री मुरलीधर शर्मा द्वारा अपना अधिकार पत्र पेश कर जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन इस प्रकार से किया कि वर्णित आराजी संख्या 1066 पर वादी का किसी प्रकार का कब्जा काशत नहीं है यह भूमि प्रतिवादीगण की खातेदारी एवं कब्जे काशत की भूमि है वादी ने गलत तथ्य अंकित किये हैं।

यह कि वादपत्र की चरण संख्या 2 में अंकित अनुसार आराजीयात मोहनदास व गणेशदास के नाम पर अंकित होना स्वीकार है अन्य तथ्य की जानकारी के अभाव में अस्वीकार है वादी स्वयं प्रमाणित करें। वाद वर्णित आराजी संख्या 1066 पर वादी का किसी प्रकार का कब्जा काशत नहीं है वादी ने गलत तथ्य लिखे हैं। हमारे पिता द्वारा वादी को आराजी संख्या 917 का ही विक्रय किया गया एवं इसके विक्रय का ही विक्रय निष्पादित करवाया है जो सही है आराजी संख्या 1066 का किसी प्रकार से विक्रय हमारे पिता द्वारा नहीं किया गया इस भूमि पर आज भी हम प्रतिवादी काबिज होकर इस पर काशत कर रहे हैं। यह भूमि हमारे खातेदारी में अंकित चली आ रही हैं।

यहकि वाद की कलम संख्या 3 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है साथ ही कथन है कि जब स्वयं वादी ने आराजी संख्या 917 का विक्रय पदमकुमार कासलीवाल को विक्रय करना लिखा है लेकिन इस पदमकुमार को वाद में पक्षकार नहीं बनाया है जो कि आवश्यक पक्षकार है ऐसी स्थिति में आवश्यक पक्षकार पदमकुमार के अभाव में वाद चलने योग्य नहीं है।

यह कि वाद की चरण संख्या 4 गलत होकर अस्वीकार है। वादी ने न तो हमारे पिता से विक्रय के पश्चात कोई चर्चा की एवं न ही हम प्रतिवादीगण से कभी इस बाबत कहा है वादी ने गलत तथ्य अंकित किये हैं जो चलने योग्य नहीं है। शेष कथन वादपत्र के अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि अंकित अनुसार वादी कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है वादपत्र खारिज किये जाने योग्य है। अतः न्यायालय श्रीमान आप से प्रार्थना है कि वादी का वाद सव्यय खारीज किए जाने का आदेश प्रदान कराया जावें।

पत्रावली में प्रतिवादी संख्या 8 पदमकुमार की ओर से अधिकार पत्र अधिवक्ता श्री भोलेश भट्ट द्वारा प्रस्तुत किया गया किन्तु कोई जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किया है। पत्रावली में वादपत्र एवं जवाब दावा के आधार पर निम्न लिखित तनकी पत्र को कायम किया गया :-

1- आया कि मौजा तुकराई पटवार हल्का तुकराई की वर्तमान आराजी संख्या 1066 का पूर्वी दिशा का हिस्सा रकबा 0.3160 हैक्टर भूमि वादी की खरीदशुदा होने से वादी के मालिकाना हक की है एवं वादी प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के नाम हटवा कर अपने नाम दर्ज कराने का वादी अधिकारी है?

वादी
2- आया कि वाद वर्णित आराजी संख्या 1066 पर वादी का किसी प्रकार का कब्जा काशत नहीं है वादी ने गलत तथ्य लिखे हैं। हमारे पिता द्वारा आराजी संख्या 917 का ही विक्रय किया गया एवं इसे विक्रय का ही विक्रय पत्र निष्पादित करवाया है जो सही है। आराजी संख्या 1066 का किसी प्रकार से विक्रय हमारे पिता द्वारा नहीं किया गया है इस भूमि पर आज भी हम प्रतिवादी काबिज होकर इस पर काशत कर रहे हैं एवं भूमि हमारी खातेदारी में अंकित चली आ रही है। वादी का वाद खारिज योग्य है?

प्रतिवादी

3- दादरसी ?

पत्रावली में तनकी पत्र सृजित किये जाने के उपरान्त वादी की ओर से साक्ष्य वादी हेतु शपथ पत्र वादी सोहनलाल पिता रूपलाल धाकड एवं गवाह कैलाश पिता सेवाराम धाकड के प्रस्तुत किये गये तथा पत्रावली में रिबटल साक्ष्य में रूपलाल के शपथ पत्र प्रस्तुत कर प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा जिरह कर वादी एवं गवाह वादी के बयान कलमबद्ध कराये गये, वादी द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत सभी दस्तावेज को प्रदर्श कराया गया प्रकरण में प्रतिवादी स्वयं शांतिलाल का शपथपत्र मुख्य परीक्षण में पुस्तुत हुआ जिस पर अधिवक्ता वादी द्वारा प्रतिपरीक्षण किया व बयान कलमबद्ध कराये गये।

हम यहाँ यह उल्लेख करना उचित समझते हैं कि इस दावा पत्रावली में इस न्यायालय द्वारा पूर्व में निर्णय पारित किया जा चुका है, यह दावा पूर्व में दावा संख्या 45/2010 व अनवान सोहनलाल बनाम रामनारायण वगै. वाद अ.धा. 88 आर0टी0एक्ट से विचाराधीन था, इस दावे में न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 30.03.2012 को निम्न लिखित निर्णय पारित किया गया :-

“ अतः वाद वादी अन्तर्गत धारा 88 रा0टी0एक्ट का स्वीकार किया जाकर दावा डिक्री किया जाता है एवं पक्ष वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की घोषणा प्रदान की जाती है कि मौजा तुकराई पटवार हल्का तुकराई की वर्तमान आराजी संख्या 1066 का पूर्वी दिशा का हिस्सा रकबा 0.3160 हैक्टर भूमि वादी की खरीद शुदा होने से वादी के खातेदारी हक की है एवं वादी के नाम प्रतिवादी सं0 1 से 4 के नाम से हटा कर राजस्व रेकार्ड में बहैसियत खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। ”

परिणामस्वरूप अपील अपीलान्त आंशिक स्वीकार का जापर जमा...
30.03.2012 अपास्त किए जाते हैं एवं प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि
नम्बर 1066 व खसरा नम्बर 917 दोनों के हरदूरपूर्वा का सत्यापन रिकार्ड व मौके की स्थिति की
रिपोर्ट होने को आधार बनाया जाकर प्रदर्श-3 खसरा नम्बर 1066 निस्फ के बारे में अजसरे जो निर्णय
प्रति किया जावे।"

इस प्रकार यह दावा पत्रावली में इस न्यायालय में पुनः निर्णय पारित किये जाने हेतु रिमाण्ड
होकर प्राप्त होने से पुनः दर्ज कर इस दावा पत्रावली की सुनवाई हमारे द्वारा की गई। न्यायालय द्वारा
दोनों पक्षों को माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय चित्तौड़गढ़ द्वारा उनके निर्णय में दिए निर्देशों की
पालना में और अन्य कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने का कहा गया तथा दोनों ही पक्षों को कई बार साक्ष्य हेतु
अवसर एवं अंतिम अवसर दिए जाने पर भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है, न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण व
उनके अधिवक्ता को बार बार आवाज दिलाने पर भी वह न्यायालय में प्रतिवादीगण की ओर से उपस्थित
नहीं आने से पत्रावली में एक तरफा कार्यवाही प्रतिवादीगण के विरुद्ध कर दावा पत्रावली में एक तरफा
बहस अधिवक्ता वादी की सुनी गई।

अधिवक्ता वादी द्वारा अपनी बहस दावा पत्रावली के अनुसार करते हुए वादी का वाद पत्र
आराजी विक्रय वादी द्वारा किये जाने से उक्त आराजी वादी के नाम पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने
की घोषणा करने का निवेदन किया है। पत्रावली में अधिवक्ता वादी की बहस सुने जाने के पश्चात पत्रावली
में सभी प्रस्तुत दस्तावेज एवं साक्ष्य वादी एवं रिबटल साक्ष्य आदि का गहन अवलोकन हमारे द्वारा किया
गया, तथा अवलोकन के उपरान्त पत्रावली में कायम तनकी अनुसार निर्णय निम्न प्रकार से किया जाता है

:-
1- तनकी नं० 1 का निर्णय :-

इस तनकी को सिद्ध कराने का भार वादी का है। वादी द्वारा दावा पत्रावली में जो
दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं उन सभी दस्तावेज उल्लेख एवं उनका विवेचन निम्न प्रकार से किया जा रहा है।
प्रदर्श-1 व प्रदर्श-2 नक्शाट्रेस आराजी है, तथा प्रदर्श-3 वाद वर्णित आराजी का विक्रयपत्र जो कि
पंजीकृत विक्रय विलेख है, इसका अवलोकन हमारे द्वारा किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत प्रदर्श-4 नकल
जमाबंदी मौजा तुकराई सं० 2064 से 67 है उसमें दर्ज आराजी संख्या 917, 318 किता-2 कुल रकबा 0.
6480 हैक्टर भूमि श्री पदमकुमार महावीर कुमार पिता इन्द्रमल महाजन सा.बेगू के नाम पर खातेदारी हक से
दर्ज है, इस दस्तावेज के अवलोकन से यह सिद्ध है कि आराजी संख्या 917 व 918 का विक्रय श्री
पदमकुमार को व उनके भाई को किया गया है न कि वादी को किया गया है जबकि पंजीकृत विक्रय
विलेख में अंकित आराजी संख्या 917 का अंकन सहवन से ही किया गया है। प्रदर्श-5 भी नकल जमाबंदी
मौजा तुकराई सं० 2064 से 67 की नकल है इस जमाबंदी में दर्ज आराजी संख्या 1066 रकबा 0.6320
हैक्टर भूमि के खातेदार श्री रूपलाल पिता नाराण 1/2 व रामनारायण शातिलाल कौशल्या पिता मोहनराम
मु. रामसुखी बेवा मोहनराम हिस्सा 1/2 जाति बैरागी सा.देह खातेदार दर्ज अंकित है। प्रदर्श-6 नकल
जमाबंदी मौजा तुकराई सं० 2035 से 2038 की नकल है इस जमाबंदी में दर्ज आराजी संख्या 917, 918,
1066, 1348, 1349 किता-5 कुल रकबा 14 बीघा 1 बिस्वा भूमि के खातेदार श्री गुणेशदास मोहनदास पिता
द्वारकादास जाति बैरागी सा.देह खातेदार दर्ज है। प्रदर्श-7 नकल जमाबंदी मौजा तुकराई सं० 2052 से
55की नकल है इसमें दर्ज आराजी संख्या 917 रकबा 0.340 के खातेदार श्री गणेशदास पिता द्वारकादास
जाति बैरागी 1/2 सोहनलाल पिता रूपलाल 1/2 जाति धाकड सा.देह खातेदार दर्ज है। यानि इस
अंकित है कि नामा.सं. 938 दिनांक 6.04.98 बेचान से श्री पदमकुमार महावीर कुमार पिता इन्द्रमल महाजन
नि. बेगू 1/2 सोहनलाल पिता रूपलाल 1/2 धाकड सा.देह के नाम दर्ज की स्वीकृति हुई है। यानि इस
वर्णित आराजी से श्री गुणेश ने अपना 1/2 हिस्सा प्रतिवादी सं. 8 श्री पदमकुमार को पूर्व में ही विक्रय कर
दिया गया था। प्रदर्श-8 नकल जमाबंदी सं० 2055 से 58 की नकल है जिसमें दर्ज आराजी संख्या 1066
रकबा 0.632 हैक्टर भूमि जिसके खातेदार श्री रूपलाल पिता नाराण हिस्सा 1/2 मोहनदास पिता
द्वारकादास हिस्सा 1/2 जाति बैरागी सा.देह खातेदार के ना मपर दर्ज थी इस जमाबंदी में नोट अंकित
किया हुआ है कि ना.सं. 1044 विरासत से मोहनदास के बजाय रामानारायण शातिलाल कौशल्या पिता
मोहनदास मु. रामसुखी बेवा मोहनदास दज्र करने की स्वीकृति हुई अर्थात मोहनदास की विरासत का अंकन
इस जमाबंदी में किया है। प्रदर्श-9 नकल नामान्तरण संख्या 938 की नकल है, यह नामान्तरण श्री
पदमकुमार महावीर कुमार पिता इन्द्रमल महाजन द्वारा भूमि कय किये जाने पर खोला जाकर प्रमाणित
किया गया है। प्रदर्श-10 नकल नामान्तरण संख्या 981 है, प्रदर्श-11 नक्शा किश्तवार मौजा तुकराई
है, प्रदर्श-12 नकल गिरदवरी है, प्रदर्श-13, प्रदर्श-14, प्रदर्श-15, प्रदर्श-16 व प्रदर्श-17 नकल खसरा
गिरदावरी की है। प्रदर्श-18 नकल विक्रय पंजीकृत आराजी व प्रदर्श-19 भी विक्रय आराजी की नकल है
इन सभी दस्तावेज का अवलोकन किया जाने पर पाया गया है कि जैसा कि विदित है तथा कानूनन सही
भी है कि जब कभी पाडोस एवं क्षेत्रफल के बारे में विवाद हो जाता है तो उसमें पडोस महत्व रखता है।
प्रतिवादी शातिलाल ने स्वयं उक्त 7.03.1979 को विक्रय की जमीन के पाडोस की ताईद की है खसरा
संख्या 1066 का 1/2 हिस्सा दिनांक 16.1.85 को गणेशदास पुत्र द्वारकादास ने रूपलाल पुत्र नारायण

खसरा संख्या 1066 का ही पश्चिमी हिस्सा था। अतः वादा
के दिनांक 7.3.1979 को जो विक्रय पत्र लिखा गया उसमें खसरा
जाना चाहिए था जो गलती से खसरा संख्या 917 लिख दिया गया। अतः वादा
का पूर्वी दिशा का हिस्सा रकबा 0.3160 हैक्टर भूमि पर खातेदारी घोषणा कराने का अधिकारी
है। एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का नाम हटवा कर अपने नाम दर्ज करवाने का वादी अधिकारी
नम्बर 1 बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण निर्णित की जाती हैं।

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर है, प्रतिवादीगण यह सिद्ध नहीं कर पाये
दी का खसरा संख्या 1066 पर कब्जा नहीं है। प्रतिवादी का कहना अपने जवाब में था कि उनके
रा खसरा संख्या 917 का ही बेचान दिनांक 7.3.1979को वादी को किया गया था परन्तु वे यह
हीं कर पाये हे कि उनके पिता द्वारा दिनांक 20.8.82 को यही आराजी गणेशदास के सााि मिलकर
आर महावीर कुमार को किस प्रकार बेच दी गयी। प्रतिवादीगण अपने जवाब में रखे गये पक्ष को
करा पाने में पूर्णतया असफल रहे है। जिससे यह तनकी नं0 2 विरुद्ध प्रतिवादीगण निर्णित की जाती
पत्रावली में कायम दोनो ही तनकी दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के आधार पर वादी के पक्ष में निर्णित
। ऐसी स्थिति में वादी का वाद स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाता हैं।
अतः वाद वादी अन्तर्गत धारा 88 राजथान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है
अंतिम डिकी किया जाता है। मौजा तुकराई की आराजी संख्या 1066 रकबा 0.3160 हैक्टर भूमि की
दिशा की भूमि वादी सोहनलाल पिता रूपलाल धाकड निवासी तुकराई द्वारा खरीद किये जाने से इस
का वादी को खातेदार घोषित किया जाता है। इस आराजी से प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का नाम
जाया जाकर वादी के नाम आराजी राजस्व रेकार्ड में बहैसियत खातेदार दर्ज किये जाने की घोषणा की
ती है।

निर्णय आज दिनांक 25.10.2023 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।

(कैलाश चन्द्र गुर्जर)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)बेगू

